संख्या : 320 /V-आ0-2007-57(आ0)/07

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून ।

आवास अनुभाग देहरादून, दिनांक 18 फरवरी, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान हेतु अनुदान सं0-13 अन्तर्गत पुर्नविनियोग की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की कतिपय अधिष्ठान मदों की लम्बित देयकाओं सलग्नक बी0एम0-15 में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 1,34,000.00 (रूपये एक लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुर्नविनियोग द्वारा व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययवर्तन अन्य मदों में नही किया जायेगा और उक्त मदों में अब इस वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार उन मदों पर ही किया जायेगा तथा देयता के निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।

4- आबंटित बचत की सीमा में प्रतिमाह की 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 तथा प्रपत्र बीएम0-13 पर सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6- उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों तथा वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII/2007 दिनांक 26-3-2007 में निहित प्रकियाओं एवं शर्तो का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

7- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह व्यावर्तित किया जा रहा है।

Awas budget 240708

8– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–001–निदेशन तथा प्रशासन–06–नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान–00– के अन्तर्गत संलग्नक बी0एम0–15 के कालम–5 के उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–362 /XXVII(2)/2008 दिनांक: 08 फरवरी, 2008 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक : बजट मैनुअल प्रपत्र–15

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या: 330 (i)/V–आ0–2007–57(आ0)/07 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मरिमा रौंकली)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
संख्या – 362ए / XXVII(2) / 2007
देहरादून, दिनांक 08 फरवरी, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत

ह0–
(एन0एन0 थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त विभाग

संख्या 320 (i)/V-आ0–2007–57(आ0) / 07 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव

Awas-budget-2007-08

पुनर्विनियोग प्रस्ताव 2007–08

प्रशासनिक विभाग – आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन

अनुदान सं0–13 आयोजनेत्तर

धनराशि हजार रू0 में

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि मे अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
2217 शहरी विकास 03 – छोटे तथा मध्यम नगरों का समेकित विकास 001– निदेशन तथा प्रशासन–06 नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसगत इकाईया 06 नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसगत इकाईया 16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिये भुगतान – 300	69	147	84	2217 शहरी विकास 03 – छोटे तथा मध्यम नगरों का समेकित विकास 001– निदेशन तथा प्रशासन 06 नगर एवं ग्राम नियोजन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसगत इकाईया 10– जलकर/जलप्रभार – 05	15		क–आवश्यकता पूर्ण होने पर बचत हो रही है।
				17– किराया, उपयुल्क और कर स्वामित्व – 70	370	216	
				27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय – 45	295		ख– बजट प्राविधान अपर्याप्त होने के कारण
45–अवकाश यात्रा व्यय – 50	–	–	50	47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी व्यय – 14	64		
कुल योग 350	69	147	134	134	744	216	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–151–156 के प्राविधानो का उल्लंघन नहीं होता है।

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव